न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 169/2020 (2020/00639) दर्ज दिनांक 04.11.2020
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

1. प्रकाश पिता माधु जाट निवासी बिकराई तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)
2. रम्भा पिता स्व0 छोगा जाट निवासी बिकराई तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)
3. रामेश्वर पिता स्व0 छोगा जाट निवासी बिकराई तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)
4. रोशन पिता माधु जाट निवासी बिकराई तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)
5. लोभचन्द पिता स्व0 छोगा जाट निवासी बिकराई तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. नारूलाल उर्फ नाहरमल पिता गणेश जाट निवासी बिकराई तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज)
2. मांगीलाल पिता गणेश जाट निवासी बिकराई तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज)
3. नोसर पुत्री गणेश जाट निवासी बिकराई तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु. गंगापुर

.... विपक्षीगण

उपस्थित :– प्रार्थीगण अधिवक्ता – श्री महेश दाद्यीच
विपक्षी सं. 01– 03 अधिवक्ता – श्री सुनिल कुमार जैन
पेरोकार सरकार

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम</u> ::

दिनांकः–09.03.2021

:: निर्णय ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है – प्रार्थीगण ने उक्त अनवान प्रकरण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिकराई पटवार हल्का अरनिया तहसील सहाडा के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी सं. 252 रकबा 0.38 हे किस्म चाही चतुर्थ कुल किता 01 कुल रकबा 0.38 हे. स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 मय नक्शा ट्रेश साथ पेश है। यह कि प्रार्थीगण अपनी आराजियात में विपक्षी संख्या एक लगायत तीन के पिता गणेश पिता हजारी जाट के नाम अभिलिखित आराजी [illegible] 251 [illegible] से आवागमन करते आ रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन का अन्य कोई [illegible] नहीं है तथा उक्त आराजियात के साबिक नम्बर 170/1 रकबा 4 बीघा सामलाती थी जो [illegible] विपक्षीगण के पूर्वज के नाम अभिलिखित हो गई। प्रार्थीगण सदैव से संजबैल, गाड़ियों से विपक्षीगण की आराजियात में आवागमन करते आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.09 15:31:16 IST
Reason: SelfAttested

1.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

यह कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 252 में विपक्षीगण की आराजी संख्या 251 के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा सबसे नजदीकी रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 251 में ही चला आ रहा है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा उत्तरी दिशा में अवस्थित आराजियात में मकानात बने हुए है, एक मात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 251 में ही है। आराजी संख्या 251 की पश्चिमी मेड से रास्ता दिलाये जाने पर सामलाती आचा संख्या 2553 के आवागमन का रास्ता भी खातेदारों को मिल जायेगा जिससे न्यायहित में प्रार्थीगण को 30 फीट चौड़ा रास्ता पश्चिमी मेड़ से दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। यह कि क्षतिपूर्ति की जो भी राषि विपक्षीगण की आराजियात में रास्ते के लिये निर्धारित होगी प्रार्थीगण अदा करने के लिये तत्पर है व रास्ते को बिलानाम दर्ज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण संख्या एक लगायत तीन की आराजी संख्या 251 की पश्चिमी मेड से 30 फिट चौड़ा का रास्ता आवागमन के लिए प्रार्थीया को दिलाया जावे व नक्षे में रास्ता फीट करके बिलानाम रास्ता दर्ज किया जावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 04.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये । विपक्षी सं. 01 से 03 की और से अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार जैन ने अधिकार पत्र पेश किया तथा विपक्षी सं. 04 पेराकार सरकार उपस्थित। विपक्षी सं. 01 लगायत 03 की और से जवाब पेश कर चरण संख्या एक में स्थित आराजियात स्थित होना स्वीकार किया एवं शेश तथ्य प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करें। चरण संख्या 2, 3, 4, 5, 6 को गलत तथ्यों के आधार पर बताकर अस्वीकार किया है। चरण संख्या 7 को कानूनी बताया व चरण संख्या 8 गलत तथ्यों के आधार पर झूठा शपथ पत्र बता कर प्रार्थना की हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण किसी प्रकार से विपक्षीगण जवाबदाता की भूमि रास्ता दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को केवल मात्र परेशान करने की गरज से गलत तथ्यों पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पेरोकार सरकार उपस्थित। औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। तहसीलदार सहाड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहीसलदार सहाड़ा के पत्रांक/राजस्व/21/75 दिनांक 15.01.2021 से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसके अनुसारः–
यह कि उक्त आराजी नं0 251 में मौके पर वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। प्रार्थीगणों के बताये अनुसार आराजी नं0 251 की पश्चिमी मेड़ पर पूर्व में आवागमन का रास्ता था जिसको वर्तमान में बंद कर रखा है। मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में प्रार्थीगण उक्त आराजी में बिलानाम आराजी नं0 250 से आराजी नं0 263 की पश्चिमी मेड से पगडण्डी के सहारे–सहारे स्वयं की आराजी नं0 252 में आवागमन किया जा रहा है। उक्त रास्ते हेतु आराजी नं0 251 की पश्चिमी मेड पर 44 गुणा 6 मीटर अर्थात 0.0264 हे0 भूमि प्रभावित होती है। ग्राम बिकराई की सिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 237408/– रूपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित है। यह कि प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर उक्त रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.09 15:31:16 IST
Reason: SelfAttested

2.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

उक्तानुसार मौका रिपोर्ट पर विपक्षीगण के अधिवक्ता ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर विपक्षीगण का आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जकार उक्त प्रकरण में मौका पर्चा रिपोर्ट , प्रार्थीगण व विपक्षीगण की मौजूदगी में बनायी जाने के आदेश के साथ दुबारा मौका पर्चा रिपोर्ट तलब फरमायी जावे। विपक्षीगण का आपत्ति प्रार्थना पर बहस सुनी जाकर न्यायालय दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना उचित नहीं समझत्ता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के अधिवक्ता तथा पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। विपक्षी संख्या एक लगायत तीन के पिता गणेश पिता हजारी जाट के नाम अभिलिखित आराजी संख्या 251 रकबा 0.67 से आवागमन करते आ रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा उक्त आराजियात के साबिक नम्बर 170/1 रकबा 4 बीघा सामलाती थी जो दौराने बन्दोबस्त विपक्षीगण के पूर्वज के नाम अभिलिखित हो गई। मौका रिपोर्ट पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने काई आपत्ति नही जाहिर की एवं पार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने जवाब को दोहराते हुए दोहराने बहस बताया कि प्रार्थीगण विपक्षीगण जवाबदाता की आराजी नं0 251 में से होकर नहीं आते जाते है व न ही कोई रास्ता है। बल्कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी नं0 252 में सदैव से उक्त आराजी के दक्षिण दिषा की तरफ अवस्थित रेकार्डेड रास्ता नं0 536 से होकर आराजी नं0 254 की पश्चिमी मेड़ से होकर इसी मेड़ पर अवस्थित आराजी चाह नं0 253 जो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की शामलाती है, जिसका फैरा आराजी नं0 254 की तरफ है, जंहा से होकर अपनी आराजी नं0 252 में आते जाते है, उक्त रास्ता जो कि प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन का सीधा, सरल व सुगम रास्ता है। इस प्रकार अल्टरनेटीव रास्ता उपलब्ध है जिससे कोई वाद पैदा नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस व मौका रिपोर्ट तथा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। मौका रिपोर्ट के अवलोकन व विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब में व दौराने बहस में बताये गये तथ्य से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण द्वारा बिलानाम आराजी नं0 250 से आराजी नं0 263 की पश्चिमी मेड से पगडण्डी के सहारे–सहारे स्वयं की आराजी नं0 252 में आवागमन किया जा रहा है। प्रार्थीगण के कृषि भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध होने से एवं बाधित नहीं होने से नया रास्ता कायम करना न्यायालय उचित नहीं समझत्ता है। जिससे प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

:: आदेश::

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का पोषनीय नहीं होने से खारिज किया किया जाता है। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 मेरे द्वारा लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.09 15:31:16 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा 3.